

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर करेडा जिला-भीलवाडा

मीन अधिकारी :- बन्शी धर योगी आर0ए0एस0

संख्या :- 30/224 510/53

कर्णपालाल 510 गौडा जिलावर सि० चण्डपुर - 530/1 - 531 - 533 - 535 प्राथी

दिनेबा 510 जगदीबा जिलावर सि० चण्डपुर - 530/1 - 531 - 533 - 535 विपक्षीगण.

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0रा0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक 2/8/24

प्राथी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956 के तहत प्रस्तुत कर किया कि ग्राम ~~सावरा~~ पटवार हल्का ~~सावरा~~ तहसील करेडा में उसके खाते/संयुक्त खातों की खाता 37-आराजी नम्बर 430/1, 431, 433, 435,

ता 4 रकबा 1.7325 हैक्टेयर भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी 37 के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्राथी अपने संयुक्त खातों की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 30/1/24 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को न्यार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्राथी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का री है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फैरी होने का अदेशा नही न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः इनत तथ्यों का देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक के आधार पर आवेदन पत्र प्राथी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश::


प्राथी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम ~~सावरा~~ पटवार हल्का ~~सावरा~~ तहसील करेडा में स्थित खाता संख्या 37-आराजी नम्बर 430/1, 431, 433, 435,

ता 4 रकबा 1.7325 हैक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु गढी किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक ~~सावरा~~ को 700/- रुपये कमिश्नर फीस पर नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्राथीगण मौके पर जमा करावे। कमिश्नर फीस जमा होने पर नरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनायें रखते हुये मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर गढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नही की जावे।

न:- प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपी

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी पदेन  
करेडा जिला भीलवाडा

लिपि :- तहसीलदार करेडा को भेजकर लेख है कि प्राथी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की कर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी पदेन  
करेडा जिला भीलवाडा